भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2592
मंगलवार, 4 अगस्त, 2026/13 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

†2592. **श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमाः**

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गुजरात सहित देश में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान एनसीडीसी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सहकारी समितियों को संवितरित ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा और उनकी संख्या कितनी है;

(ग) गुजरात राज्य को संवितरित ऐसे ऋणों का जिला-वार ब्यौरा और संख्या तथा उनकी धनराशि कितनी है; और

(घ) गुजरात में पिछले पांच वर्षों के दौरान एनसीडीसी द्वारा जिन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सहकारी समितियों को ऋण संवितरित किया गया है, उनका ब्यौरा और संख्या कितनी है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क): सहकारिता मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक संगठन, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), कृषक संस्थाओं को सशक्त करके, उत्पादकता बढ़ाकर और कटाई-पूर्व एवं कटाई-पश्चात की अवसरंचना को सहायता प्रदान करके गुजरात सहित देश में सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देता है, सशक्त करता है और विकसित करता है। एनसीडीसी समय-समय पर यथा-संशोधित अधिसूचित वस्तुओं और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करते हुए, अपनी निगम-प्रायोजित योजनाओं के साथ-साथ भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहकारी क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। हालिया वर्षों में, एनसीडीसी ने नई सहकारी समितियों, महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल आदि पर विशेष जोर देते हुए, सहकारी क्षेत्र की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप क्षेत्र-विशिष्ट योजनाएं और लक्षित उत्पाद शुरू किए हैं, जिससे सहकारी अवसरंचना का सुदृढ़ीकरण होता है ।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा समर्थित कार्यकलापों और कार्यान्वित योजनाओं का विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख) और (घ) गुजरात सहित राज्यवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहकारी समितियों को पिछले पांच वर्षों के दौरान एनसीडीसी द्वारा संवितरित ऋणों का ब्योरा और संख्या **संलग्नक-II** में संलग्न है।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान एनसीडीसी द्वारा गुजरात राज्य को संवितरित ऋणों की संख्या और उनका जिला-वार ब्योरा **संलग्नक -III** में दिया गया है।

संलग्नक - I

एनसीडीसी द्वारा सहायता प्राप्त योजनाएं/कार्यकलाप

1) निगम प्रायोजित योजनाएं:

क) सहायता प्राप्त कार्यकलाप:

एनसीडीसी सहकारी समितियों को उनके विकास के लिए ऋण (सावधि ऋण और निवेश ऋण दोनों) और सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है । ऋण घटक एनसीडीसी की अपनी स्वयं की निधियों से प्रदान किया जाता है, जबकि पात्र सब्सिडी केंद्रीय क्षेत्र की अन्य योजनाओं के साथ डवटेलिंग के बाद प्रदान की जाती है। एनसीडीसी द्वारा सहायता प्राप्त कार्यकलापों की सूची इस प्रकार है:-

i. **विपणन**:
ii. **प्रसंस्करण**:
iii. **भंडारण**:
iv. **शीत श्रृंखला**:
v. **औद्योगिक**:
vi. **सहकारी समितियों के माध्यम से आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण**:
vii. **ऋण और सेवा सहकारी समितियां/अधिसूचित सेवाएं**:
viii. **सहकारी बैंकिंग इकाई**:
ix. **कृषि सेवाएं**:
x. **जिला योजनागत योजनाएं**:
xi. **दुर्बल वर्ग सहकारी समितियां**:
xii. **सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए सहायता**:
xiii. **संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक कार्यक्रम**

ख) एनसीडीसी के केंद्रित उत्पाद:

i. **युवा सहकार - सहकारी उद्यम सहायता और नवाचार योजना:** इस योजना का उद्देश्य नए और/या नवोन्मेषी विचारों वाली नवस्थापित सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना है।

ii. **नंदिनी सहकार:** इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है और महिला सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं की उद्यमशीलता की गतिशीलता को सहायता प्रदान करना । यह योजना महिलाओं के उद्यम, व्यवसाय योजना प्रतिपादन, क्षमता विकास, ऋण और सब्सिडी, और/या अन्य योजनाओं के ब्याज अनुदान के महत्वपूर्ण इनपुट को अभिसरित करती है।

iii. **स्वयं शक्ति सहकार योजना: -** महिला स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को ऋण/अग्रिम प्रदान करने के लिए कृषि ऋण सहकारी समितियों को एनसीडीसी की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।

iv. **दीर्घावधि कृषक पूंजी सहकार योजना:** एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कार्यकलापों/वस्तुओं/सेवाओं के लिए दीर्घकालिक ऋण/अग्रिम के आगे संवितरण हेतु कृषि ऋण सहकारी समितियों को एनसीडीसी की दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।

v. **एनसीडीसी नकद क्रेडिट ऋण:** सहकारी समितियों के लिए कार्यशील पूंजी योजना, जिसके तहत वाणिज्यिक बैंकों की कैश क्रेडिट सीमा की तर्ज पर ₹20 करोड़ तक का ऋण प्रदान किया जाता है — जिसमें आसान निकासी, शून्य प्रसंस्करण शुल्क और वार्षिक नवीनीकरण का विकल्प शामिल है।

vi. **सहकार नवाचार योजना:** यह योजना वित्तीय वर्ष **2025-26** में पात्र सहकारी समितियों को **₹25 लाख तक की अनुदान सहायता** प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, ताकि नवाचार, नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने, नवीन उत्पादों, सेवाओं एवं व्यावसायिक मॉडलों के विकास, बाजार लिंकेज और संधारणीयता-उन्मुख पहलों को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे सहकारी क्षेत्र को सशक्त किया जा सके और नवीन तथा विस्तार योग्य विचारों वाली उभरती सहकारी समितियों को सहायता प्रदान की जा सके।

2) अन्य केंद्रीय योजनाएं:

क) **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) योजना को सहायता अनुदान-** सहकारिता मंत्रालय

ख) **कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई)** भंडारण और भंडारण अवसरंचना के अलावा अन्य केंद्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि विपणन योजना (सीएसआईएसएएम) की उप-योजना - कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।

ग) **बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच) -** एकीकृत कटाई बाद प्रबंधन - कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।

घ) **कृषि अवसंरचना निधि योजना के अंतर्गत वित्तपोषण सुविधा के माध्यम से ब्याज अनुदान एवं ऋण गारंटी** - कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।

ङ) **कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएईटी)** के बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी) के अंतर्गत बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सहायता घटक।

च) **पीएम मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)** – मत्स्य पालन विभाग; मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय।

(i) मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) की स्थापना और संवर्धन ।

(ii) प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) – मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग द्वारा संचालित पीएमएमएसवाई (PMMSY) के तहत एक उप-योजना ।

छ) **प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई)**- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय।

ज) **10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की स्थापना और संवर्धन की योजना–** कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।

झ) **(i) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) – खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन योजना -** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय।

(ii) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) – एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय।

(iii) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) – कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) के लिए अवसंरचना का सृजन- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय।

ञ) **नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनएसटीएफडीसी)** - जनजातीय कार्य मंत्रालय

ट) **राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम)-** पशुपालन और डेयरी विभाग; मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय।

ठ) **राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम)** पशुपालन और डेयरी विभाग; मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय।

ड) **पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ),** मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

ढ) **सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)**- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई)

ण) **राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)–** कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओए एंड एफडब्ल्यू)

त) **कृषि यांत्रिकीकरण उप मिशन (एसएमएएम**) **-** कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओए एंड एफडब्ल्यू)

संलग्नक-II

पिछले 5 वर्षों के दौरान एनसीडीसी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्योरा

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26	
		जारी की गई राशि	ऋणों की संख्या	जारी की गई राशि	ऋणों की संख्या	जारी की गई राशि	ऋणों की संख्या	जारी की गई राशि	ऋणों की संख्या	जारी की गई राशि	ऋणों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1.044	1	0.71	2						
2	अरुणाचल प्रदेश			0.34	1						
3	असम	-	-	-	-	0.22892	2	0.5202	2	-	-
4	बिहार			0.59	7	0.18	5				
5	गुजरात			1.22	2						
6	हरियाणा	0.261	7	0.61	19	0.16	4	0.0132	2		
7	हिमाचल प्रदेश	0.392	1	0.36	4						
8	झारखंड	0.076	3	1.32	8			28.09	1		
9	कर्नाटक										
10	केरल			0.4	8	0.11	1	0.0147	2	0.324	1
11	मध्य प्रदेश	1.959	10	2.05	17	0.03	1			0.45	2
12	मिजोरम	1.064	2	2.3068	6	2.9061	4	0.457615	3	0.148	3
13	नागालैंड			0.2	5	0.11	5				
14	राजस्थान			0.66	3	1.09	2				
15	तमिलनाडु	0.983	11	0.46	7	0.24	1				
16	तेलंगाना										
17	त्रिपुरा	0.184	3	0.59	8	0.15	2				
18	उत्तर प्रदेश	1.901	17	1.36	52	0.73	12				
19	पश्चिम बंगाल							0.15	1		
20	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह							0.5625	1		
	कुल	**7.864**	**55**	**13.1768**	**149**	**5.93502**	**39**	**29.808215**	**12**	**0.922**	**6**

संलग्नक-III

गुजरात राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहकारी समितियों को संवितरित ऋणों की संख्या (जिलावार)

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	सहकारी समिति का नाम	जिला	राशि (₹ करोड़)
1	2022-23	सूरत-तापी जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड	तापी (दो इकाइयाँ)	1.22
2	2026-27	श्री भीमराव मत्स्योद्योग सेवा सहकारी मंडली लिमिटेड	गिर सोमनाथ	0.54
कुल				1.76